नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

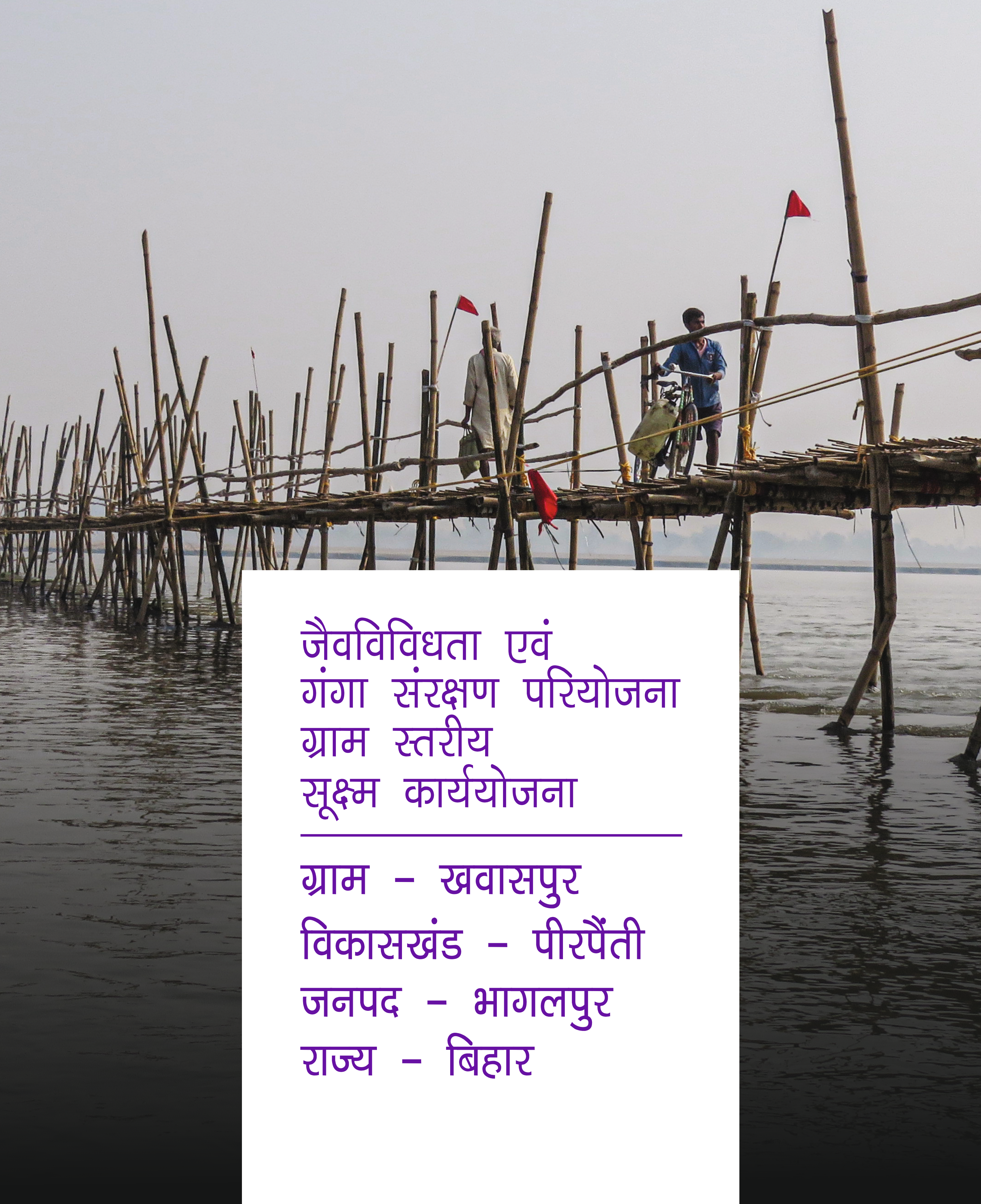

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण परियोजना ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना

ग्राम – खवासपुर

विकासखंड – पीरपैंती

जनपद – भागलपुर

राज्य – बिहार

सम्पादन
डॉ0 रूचि बडोला
डॉ0 एस0 ए0 हुसैन

लेखन एवं रूपरेखा
हेमलता खण्डूड़ी

डाटा संकलन
मुकेश देवराड़ी, एकता शर्मा एवं गंगा प्रहरी टीम, बिहार

टाइप सैटिंग
मानसी बिजल्वाण

डिजाइन
महेशानन्द पाण्डेय

फोटो क्रेडिट
एन0एम0सी0जी0 टीम

सम्पादकीय पता
भारतीय वन्यजीव संस्थान
पोस्ट बॉक्स 18, चन्द्रबनी
देहरादून – 248001
उत्तराखंड, भारत
टेलिफोन संख्या – 0135 2640114–15, 2646100
फैक्स नं0 – 0135.2640117
ई –मेल – ruchi@wii.gov.in

वर्ष – 2022

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना

सूक्ष्म नियोजन

ग्राम	–	खवासपुर
विकासखंड	–	पीरपैंती
जनपद	–	भागलपुर
राज्य	–	बिहार
कुल बजट	–	रू0 25,05,000.00
क्रियान्वयन अवधि	–	5 वर्ष

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

2022

विषय – वस्तु

परिचय 01

भाग – 1 प्रस्तावना 03

1.1 ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना 03

भाग – 2 ग्राम पंचायत का विवरण 04

2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण 04

2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक 04

2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया 04

2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण 04

2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय 04

2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति 04

2.7 कृषि एवं पशुपालन 05

2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण 05

2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता 05

2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैव विविधता का विवरण 05

2.11 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता 05

2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैव विविधता कार्यक्रम की जानकारी 06

2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण 06

भाग – 3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders) 07

3.1 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक 07

भाग – 4 समस्या विश्लेषण 09

4.1 समस्या विश्लेषण 09

भाग –5 नियोजन का उद्देश्य 11

भाग – 6 प्रस्तावित गतिविधियाँ, रणनीति एवं समन्वयन 13

6.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ 13

6.2 समुदाय आधारित संस्थानों का अभिमुखीकरण 13

6.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियाँ 13

6.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ 14

6.5 वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी गतिविधियाँ 14

6.6 कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ 14

6.7 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियाँ 15

6.8 जैवविविधता एवं आवास पुनर्स्थापन गतिविधियाँ 15

6.9 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन 15

भाग – 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण 16

7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण 16

7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट 17

7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन 18

7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व 18

7.5 विवाद का निपटारा 19

7.6 अभिलेखों का रखरखाव 19

7.7 सफलता के सूचक 19

अनुलग्नक 20

1 समझौता ज्ञापन 20

2 सामाजिक मानचित्र 21

3 सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची 22

4 फोटो गैलरी 23

na Kirana Store
कृष्ण किराना स्टोर
Khawaspur School
खावसपुर विद्यालय
Khawaspur
खावसपुर

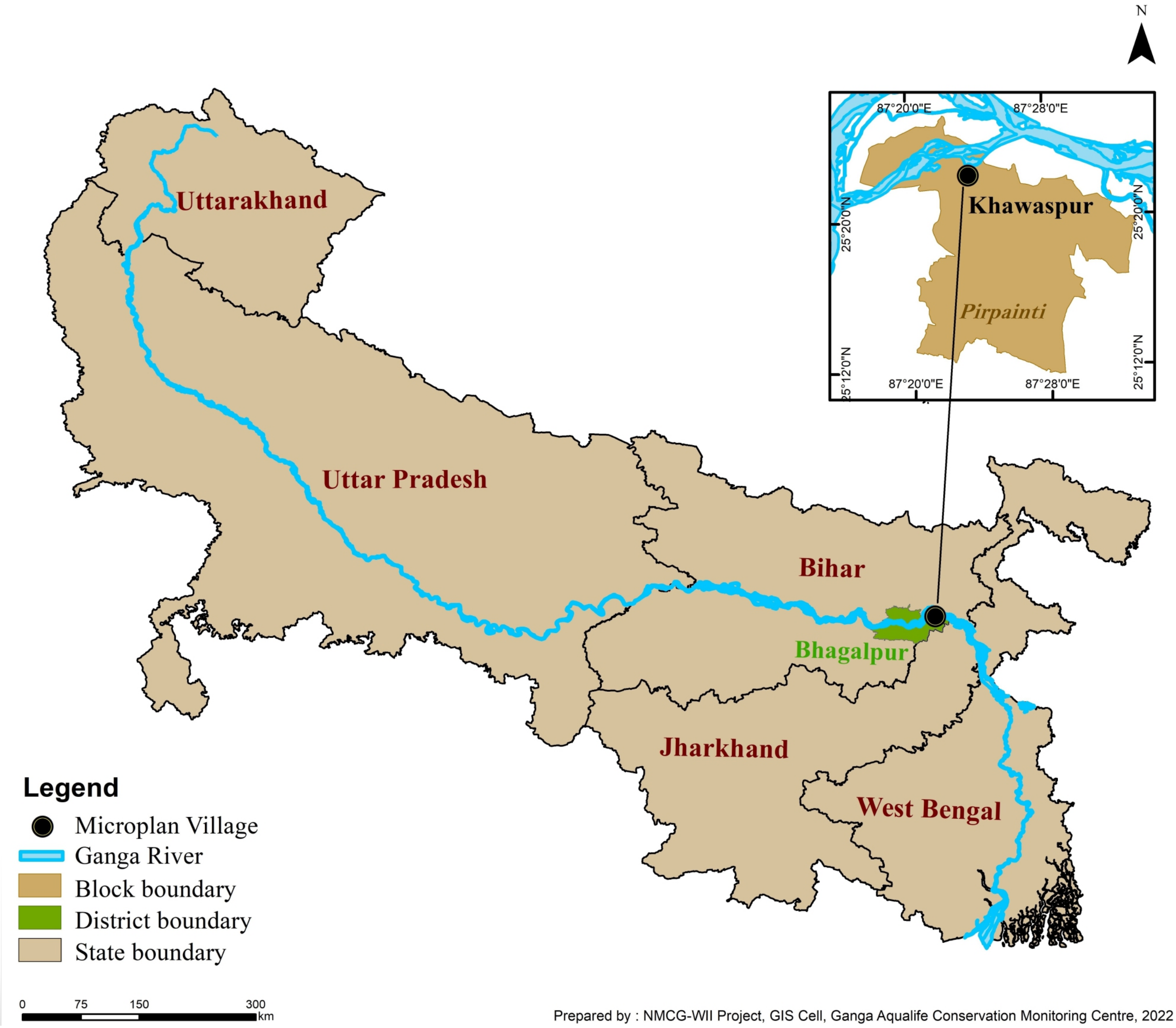
N
87°20'0"E
87°28'0"E
25°20'0"N
25°12'0"N
Khawaspur
Pirpainti
Uttarakhand
Uttar Pradesh
Bihar
Bhagalpur
Jharkhand
West Bengal
Legend
Microplan Village
Ganga River
Block boundary
District boundary
State boundary
0 75 150 300 km
Prepared by : NMCG-WII Project, GIS Cell, Ganga Aqualife Conservation Monitoring Centre, 2022

मानचित्रः खवासपुर

परिचय

भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और नदी को संरक्षित करने के लिये नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना का आरंभ किया है। परियोजना के द्वितीय चरण में गंगा नदी की सहायक नदियों को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया है। परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर नदी की सफाई के तहत तरल कचरे की समस्या को हल करने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों का व्यक्तिगत/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, शव–दाह गृहों का उच्चीकरण, आधुनिकीकरण एवं निर्माण, घाटों का निर्माण और मरम्मत आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जैवविविधता संरक्षण, वनीकरण व पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये भी कार्य किया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु चलाये जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियां जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, इन प्रजातियों की जैवविविधता के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। परियोजना के प्रथम चरण में गंगा नदी की मुख्यधारा में कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। जिसमें जैवविविधता संरक्षण हेतु 6 घटकों पर कार्य किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा जलीय जीव संरक्षण एवं अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के पुनर्रूद्धार हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की प्रजातियों के पुनर्वास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एवं गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु नेचर इंटरप्रेटेशन और शिक्षा आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं। परियोजना के द्वितीय चरण में कार्यक्रम का क्रियान्वयन गंगा और इसकी सहायक नदियों में किया जा रहा है। साथ ही चयनित ग्राम पंचायतों की सूक्ष्म योजना भी तैयार की जा रही है।

सूक्ष्म नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास की योजना का निर्माण करता है। सूक्ष्म नियोजन में समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी होना इसकी प्रमुख विशेषता है। नियोजन की प्रक्रिया को विकेन्द्रित (Decentralised), सतत (Sustainable) एवं सहभागी (Participatory) बनाने का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसमें नियोजन की प्रक्रिया ऊपर से नीचे (Top to bottom) न होकर नीचे से ऊपर (Bottom to top) की ओर होती है। इस प्रक्रिया में समुदाय के ज्ञान व अनुभवों को आधार मानकर कई सहभागी आकलन की गतिविधियों के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है।

खवासपुर

मंजू देवी **मुखिया** **आवास**

ग्राम पंचायत - खवासपुर
प्रखण्ड सह अंचल - पीरपैंती
जिला - भागलपुर (बिहार)- 813209

सत्यमेव जयते

ग्राम + पोस्ट- खवासपुर, थाना - एकचारी
जिला - भागलपुर (बिहार)- 813209
मो0:- 9534466247

पत्रांक....50........ दिनांक...21/09/22

सहमति पत्र

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत - खवासपुर, प्रखण्ड - पीरपैंती, जिला - भागलपुर में विभिन्न बैठकों, कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों के साथ-साथ अन्य गतिविधियाँ आयोजित की गयी हैं समुदाय के साथ लगातार चर्चा के बाद गंगा की जैव-विविधता संरक्षण हेतु यह ग्राम स्तरीय सूक्ष्म योजना तैयार की गयी है। इस योजना पर सामुदायिक बैठक में चर्चा करने के उपरांत समुदाय द्वारा इस पर सहमति दी गई है। ग्राम पंचायत एवं ग्राम समुदाय भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ भागीदारी हेतु तैयार है।

मंजू देवी
मुखिया
ग्राम पंचायत-खवासपुर
पीरपैंती, भागलपुर

मुखिया का हस्ताक्षर एवं मोहर
मंजू देवी
मुखिया
ग्राम पंचायत-खवासपुर
पीरपैंती, भागलपुर

भाग – 1 प्रस्तावना

1.1 ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना

ग्राम पंचायत	खवासपुर
अवस्थिति	अक्षांश 25.358088 एवं देशान्तर 87.391882
विकासखंड	पीरपैंती
जिला	भागलपुर
राज्य	बिहार
जिला मुख्यालय से दूरी	52 कि0मी0
तहसील मुख्यालय सोहावल से दूरी	9 कि0मी0
घाघरा नदी से दूरी	2 कि0मी0
कुल जनसंख्या	35,545
कुल परिवार	3300
मुख्य जातियां	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, पिछड़ा वर्ग
मुख्य समस्याएं	
	• जागरूकता की कमी,
	• कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग,
	• यात्रा व मेलों के समय श्रद्धालुओं की अत्यधिक संख्या
	• धार्मिक व पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करना,
	• कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होना,
	• आजीविका हेतु गंगा नदी पर निर्भरता,
	• स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ़ न होना
	• शौचालयों की कम संख्या व शौचालय निर्माण हेतु स्थान का अभाव
	• कछुओं और पक्षियों का अवैध शिकार
प्रस्तावित गतिविधियाँ	
	• सामुदायिक जागरूकता गतिविधियाँ
	• समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण
	• आजीविका व कौशल विकास गतिविधियाँ
	• स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ
	• वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी गतिविधियाँ
	• कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ
	• पशुपालन संबंधी गतिविधियाँ
	• जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधिया

भाग –2 ग्राम पंचायत का विवरण

2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण

ग्राम पंचायत खवासपुर गंगा नदी से 2 कि0मी0 दूर स्थित है। यह ग्राम बिहार राज्य के भागलपुर जिले के पीरपैंती विकासखंड में स्थित है। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 52 कि0मी0 एवं राजधानी पटना से 273 कि0मी0 है। खवासपुर का पिनकोड 813209 है और डाकघर खवासपुर में ही स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार खवासपुर गाँव का जनगणना कोड 239096 है। गाँव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 630 हैक्टेयर है। यह समुद्र तल से लगभग से 648 मीटर की ऊँचाई पर बसा है। गांव की 25 कि0मी0 की परिधि में विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य, बटेश्वर स्थान तथा पुरातात्विक स्थल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष स्थित है।

2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक

ग्राम पंचायत गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह क्षेत्र विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य से लगभग 25 कि0मी की दूरी पर नीचे की ओर (down stream) स्थित है। धार्मिक स्थल बटेश्वर स्थान से ग्राम पंचायत की दूरी 17 कि0मी है। नदी के इस भाग में डॉल्फिन, कछुये, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि जलीय जीव पाये जाते हैं। लोगों की गंगा पर निर्भरता आस्था के साथ–साथ आजीविका के लिये भी है। गाँव में कूड़ा निस्तारण की कोई भी व्यवस्था न होने के कारण कूड़ा, घर के आसपास ही जला दिया जाता है, या फिर गड्ढा खोदकर उसे दबा दिया जाता है। जो प्रदूषण का कारक है। इसके साथ ही नदी के प्रदूषण के कारकों व जलीय जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता का अभाव है। गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण व यहाँ पर जलीय जैवविविधता की उपस्थिति होने के कारण ग्राम पंचायत को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया

नमामि गंगे कायक्रम के अन्तर्गत विकासखंड स्तर पर चिन्हित ग्रामों की सूची के अनुसार तथा क्षेत्र में नामांकित गंगा प्रहरियों से चर्चा करने के उपरान्त गंगा किनारे स्थित इस पंचायत का चयन कार्यक्रम हेतु किया गया। उपरोक्त ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क किया गया एवं ग्राम समुदाय के साथ बैठकें कर ग्राम पंचायत की स्थिति को जाना गया व ग्रामवासियों को परियोजना की जानकारी दी गयी व कार्यक्रम के उद्देश्यों को बताया गया। ग्राम समुदाय एंव मुखिया की सहमति के बाद गांव को सूक्ष्म नियोजन के लिये चयनित किया गया।

2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण

ग्राम पंचायत खवासपुर बिहार और झारखंड राज्य की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर मुख्य रूप से मैथिली भाषा बोली जाती है। ग्राम पंचायत खवासपुर की कुल जनसंख्या 35,545 है। यहाँ पर लगभग 3300 परिवार निवास करते हैं। खवासपुर एक अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांव है। यहाँ पर संथाल जनजाति निवास करती है। यहाँ के लगभग 80 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है, जो 2600 परिवारों में निवास करती है। अन्य में 200 परिवार अनुसूचित जाति, 470 परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 30 परिवार सामान्य जाति के हैं। कुल जनसंख्या में से शिक्षित पुरूषों की संख्या 13000 तथा शिक्षित स्त्रियों की संख्या 7000 है।

2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय

खवासपुर में रहने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति निम्न एवं मध्यवर्गीय है। 620 परिवार पशुपालन एवं 2000 परिवार आजीविका हेतु कृषि पर आश्रित हैं। ग्राम पंचायत में नौकरीपेशा व्यक्तियों की संख्या 1620 है, 250 परिवार स्वरोजगार तथा कुछ परिवार मजदूरी, नौकायान, धार्मिक कार्य आदि से अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ पर 50 परिवार मछली मारकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग गांव से लगभग 6 से 15 कि0मी0 की दूरी पर स्थित ईंट भट्टों में कार्य करते हैं।

2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति

खवासपुर में स्वच्छ पेयजल हेतु 3054 हैंडपम्प हैं जिनसे पेयजल प्राप्त होता है। यहाँ पर 11 कुंए भी हैं जिनमें से वर्तमान में केवल एक ही कुवें में पानी है जिसका उपयोग भी पेयजल के लिये किया जाता है। यहाँ पर सभी परिवारों को पेयजल की

उपलब्धता है। गाँव में कुल शौचालयों की संख्या केवल 700 है, शौचालय विहीन परिवारों की संख्या 2600 है, जो शौच हेतु गाँव के पास खेतों में, सड़क या नदी के किनारे जाते हैं। कुल निर्मित शौचालयों में से 273 शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाये गये हैं तथा 427 शौचालय परिवारों द्वारा स्वयं के संसाधनों से बनाये गये हैं। गांव में एक सार्वजनिक शौचालय लोहिया स्वच्छता मिशन के अनतर्गत निर्मित किया गया है परंतु शौचालयविहीन आबादी को देखते हुये काफी नहीं है। यह ठोस कूड़ा (Solid waste) एकत्रीकरण हेतु गाँव में कूड़ादान नहीं है। समुदाय द्वारा घर के पीछे, खुले स्थान पर या जलाकर कूड़े का निस्तारण किया जाता है।

2.7 कृषि एवं पशुपालन

ग्राम पंचायत में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। यहाँ पर कुल 438 हेक्टेयर कृषि भूमि पर खेती की जाती है। गाँव में गेहूँ, अरहर, सरसों, एवं मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर कुल 2000 परिवार कृषि पर निर्भर हैं, 620 परिवार पशुपालन करते हैं तथा 250 परिवार स्वयं का व्यवसाय करते हैं। लगभग 50 परिवार नदी किनारे कृषि (पालेज) करते हैं जिसमें मुख्यतः परवल, तरबूज, खीरा, करेला, ककड़ी आदि फसल उगाई जाती है। फसलों का कीटों से बचाव करने हेतु थारमेट, लाया, ऐन्ट्राफिट आदि कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिये रासायनिक खाद का प्रयोग भी करते हैं। पशुओं के लिये चारा खेतों और बाजार से खरीदकर लाया जाता है। 2387 परिवारों के पास ईंधन हेतु गैस की व्यवस्था है। पशुधन की प्रचुरता के कारण ईंधन हेतु लकड़ी के साथ ही गोबर के उपलों का भी प्रयोग किया जाता है।

2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण

भागलपुर जिले में हल्की ठंडी सर्दी, शुष्क गर्मी व मानसून में मौसम आर्द्र रहता है। यहाँ पर औसत वर्षा 1203.4 मि0मी तक होती है। वर्षा के पानी को रोकने के लिये वनस्पति कम होने के कारण वर्षा का अधिकतर पानी बहकर नदी में चला जाता है।

ग्राम पंचायत में 100 से अधिक परिवारों द्वारा सिंचाई हेतु बोरिंग की गई है जिससे पंप के माध्यम से पानी निकालकर सिंचाई की जाती है। इस क्षेत्र में कृषि सिंचाई हेतु अत्यधिक जल का दोहन किया जाता है।

2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता

खवासपुर ग्राम पंचायत में सड़क मार्ग द्वारा यातायात व आवागमन के साधन उपलब्ध हैं। यहाँ तक पहुँचने के साधन ऑटो, बाईक, स्कूटर आदि हैं। इसके अलावा ग्राम संचार के साधनों में ग्राम में टेलीफोन, प्राथमिक विद्यालय के अतिरिक्त इंटरमीडियेट कॉलेज भी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी ग्राम पंचायत में ही स्थित है।

2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण

गाँव के आस पास आम, नीम, अशोक, पीपल, लीची, नींबू आदि वृक्ष सम्पदा पायी जाती है। ईंधन के लिये लकड़ी का प्रयोग किये जाने के कारण वृक्षों पर लोगों की निर्भरता है।

यहाँ पर गंगा नदी में जैवविवधिता बहुत समृद्ध है जिनमें मछलियां, डॉल्फिन, कछुये, मगरमच्छ, घड़ियाल, आदि जलीय जीव तथा पक्षी पाये जाते हैं।

2.11 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता

गंगा नदी के तट पर स्थित खवासपुर गाँव धार्मिक व आर्थिक रूप से गंगा नदी पर निर्भर है। ग्राम पंचायत में बहुसंख्य परिवार आजीविका हेतु कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर हैं। कृषि के लिये जल व पशुओं के पानी एवं चारे हेतु समुदाय की गंगा पर निर्भरता है। खवासपुर में कुल 2000 परिवार कृषि करते हैं। कृषि 438 हेक्टेयर भूमि पर की जाती है जिसमें गेहूँ, मक्का, अरहर, सरसों आदि फसलें उगाई जाती है। नदी किनारे 50 हेक्टेयर क्षेत्र में 50 परिवारों के द्वारा कृषि (पालिज) की जाती है जो कृषि हेतु नदी से ही पंप के द्वारा पानी निकालते हैं। लोग घर बनाने या नहर निर्माण आदि कार्यों के लिए नदी से बालू, रेत निकालते हैं। गंगा के किनारे धार्मिक संस्कारों के लिये भी लोग आते हैं। लगभग सभी परिवारों की ईंधन हेतु लकड़ी और चारे हेतु घास के लिये वनों और कृषि भूमि पर निर्भरता है। 50 परिवार मछली मारकर अपनी आजीविका चलाते है।

2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी

यहाँ पर जैवविविधता संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा संचालित कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कोई भी योजना/कार्यक्रम नहीं चल रहा है।

2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण

समुदाय आधारित संस्थाओं की संख्या एवं जो संस्थायें गठित हैं उनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है।

क्रम सं0	कार्यक्रम का नाम	गठित संस्था का नाम	कार्यक्रम का विवरण	लाभार्थियों की संख्या	टिप्पणी
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	स्वंय सहायता समूह	महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कार्य करना	1248	इसका उद्देश्य कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है।
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	आशा	महिला एवं बाल स्वास्थ्य	15 कार्यकर्ता	
3.	समेकित बाल विकास योजना	आंगनबाड़ी	15 आंगनबाड़ी केन्द्र	282 बच्चे	

भाग –3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक

3.1 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (stakeholders)

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हितधारकों की पहचान करने हेतु समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें की गई। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, मल्लाह समुदाय, ग्रामीण समुदाय, पंचायत स्तर पर गठित समितियों के सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों आदि के साथ कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई व गंगा की स्वच्छता एवं जैवविविधता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान कार्यक्रम से प्रभावित होने वाले निम्न वर्गों को हितधारक के रूप में चिन्हित किया गया–

- पालिज की खेती करने वाले व अन्य किसान
- विद्यालयों के छात्र/छात्राएं
- ग्राम पंचायत के चयनित सदस्य
- गंगा प्रहरी
- महिलायें एवं किशोरियां
- मल्लाह समुदाय
- स्वयं सहायता समूह, आंगनबाडी, आशा कार्यकर्ता, ग्राम स्तरीय समिति
- बिहार कृषि विश्वविद्यालय
- कृषि विज्ञान केन्द्र सबौर
- विभिन्न विभाग एवं कार्यक्रम के अधिकारी कर्मचारी गण– स्वच्छ भारत मिशन, राज्य आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, खण्ड विकास अधिकारी, वन विभाग।
- केन्द्रीय मंत्रालय – जलशक्ति मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, अन्य मंत्रालय आदि।

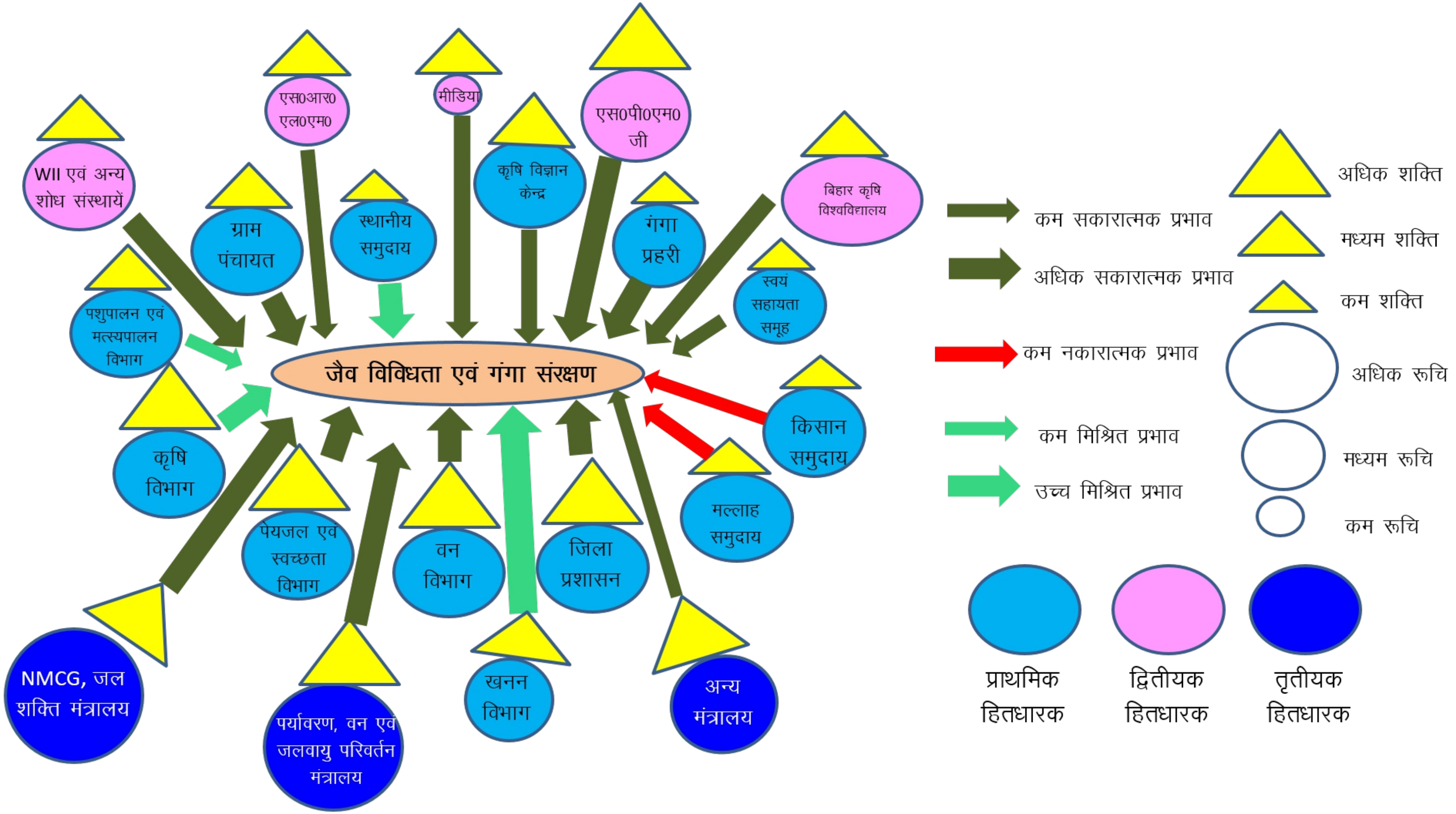

चित्र संख्या 1 – हितधारक मानचित्रण

भाग –4 समस्या विश्लेषण

4.1 समस्या विश्लेषण

ग्राम पंचायत खवासपुर की प्रमुख समस्या वहाँ पर शौचालयों की कमी होना है। ग्राम में रहने वाले 3300 परिवारों में से केवल 700 परिवारों के पास ही व्यक्तिगत शौचालय है एवं केवल एक सार्वजनिक शौचालय है। ग्राम में शौचालयों की संख्या कम होने के कारण लोग शौच हेतु सड़क, खेतों या नदी के किनारे जाते हैं जो नदी जल के प्रदूषण का प्रमुख कारक है।

ग्राम पंचायत खवासपुर के निवासियों की आजीविका हेतु निर्भरता कृषि व पशुपालन कार्यों पर है। यहाँ पर 225 हेक्टेयर कृषि भूमि है। आजीविका का प्रमुख स्रोत होने के कारण समुदाय कृषि उत्पादकता पर निर्भर है जिसके लिये खेतों में रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग किया जाता है। जो अतंतः बहकर नदी में मिल जाते हैं।

नदी किनारे पालिज खेती करने और खनन के कारण जलीय जीवों के प्रजनन स्थल की हानि हो रही है जिससे उनकी संख्या में कमी आ रही है।

अधिकतर परिवारों की कृषि पर निर्भरता के कारण सिंचाई के लिये जल का स्रोत नदी का पानी ही है। जिसके लिये गांव में बोरिंग की गई है तथा पंप के द्वारा सिंचाई हेतु जल निकाला जाता है। जल के अत्यधिक दोहन के कारण जलस्तर लगातार घट रहा है। साथ ही वनस्पति और वृक्षों की कमी के कारण वर्षा जल भी बहकर नदीं में चला जाता है।

ग्राम पंचायत में तरल एवं ठोस कूड़ा एकत्रीकरण, प्रबन्धन एवं निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है जिस कारण ग्राम पंचायत का तरल अपशिष्ट सीधा नदी में प्रवाहित होता है तथा ठोस अपशिष्ट को लोग सड़क के किनारे या खेतों में गड्ढा करके निस्तारण करते हैं। खुले में निस्तारित कूड़ा हवा व वर्षा के साथ गंगा के पानी में मिल जाता है।

जलीय जीवों और पक्षियों विशेषकर कछुये और प्रवासी पक्षियों का अवैध शिकार क्षेत्र में होता है जिसे लोग अवैध व्यापार, स्वंय के खाने तथा मिथकों पर आधारित दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। जो जैवविविधता में कमी का प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त अनियोजित एवं अवैध खनन भी क्षेत्र में भूमि कटाव और जैवविविधता में ह्रास का कारण है।

आजीविका हेतु अन्य साधनों एवं कौशल विकास की जानकारी व उपलब्धता नहीं होने के कारण समुदाय को नये क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। जिस कारण यहाँ पर 50 परिवारों द्वारा मछली का शिकार कर अपनी आजीविका चलाई जाती है। जलीय जीवों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता का पूर्णतः अभाव है।

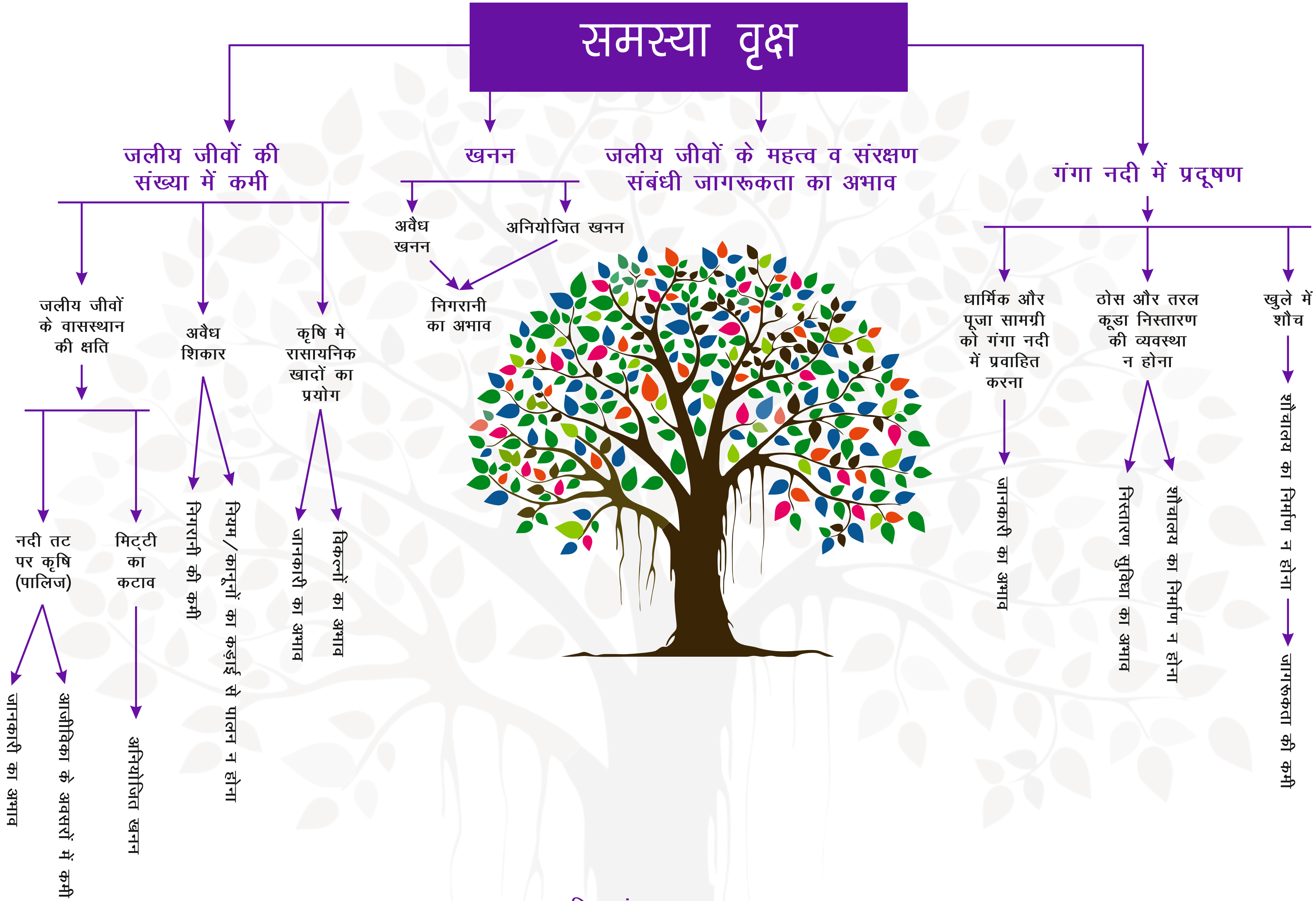

चित्र संख्या 2 – समस्या वृक्ष

भाग – 5 नियोजन का उद्देश्य

सूक्ष्म नियोजन का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण एवं गंगा की स्वच्छता हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं संरक्षण कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे संरक्षण कार्यों की सतत्ता बनी रहे ।

दीर्घकालीन उद्देश्य

गंगा नदी की अविरलता एवं निर्मलता को बनाये रखने के लिये जलीय जीवों का संरक्षण करना।

अल्पकालीन उद्देश्य

- गंगा की जैवविविधता के संरक्षण हेतु समुदाय को जागरूक एवं संवेदनशील बनाना ताकि वे जैवविविधता संरक्षण के कार्य में भागीदारी कर सकें।
- कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग कम करना एवं समुदाय को जैविक और प्राकृतिक कृषि को अपनाने के लिये प्रेरित करना।
- क्षेत्र में अवैध शिकार को रोकने के लिये एक निगरानी तन्त्र तैयार करना।

नदी की जैवविविधता एवं नदी पर समुदाय की निर्भरता के आधार पर गांव का चयन

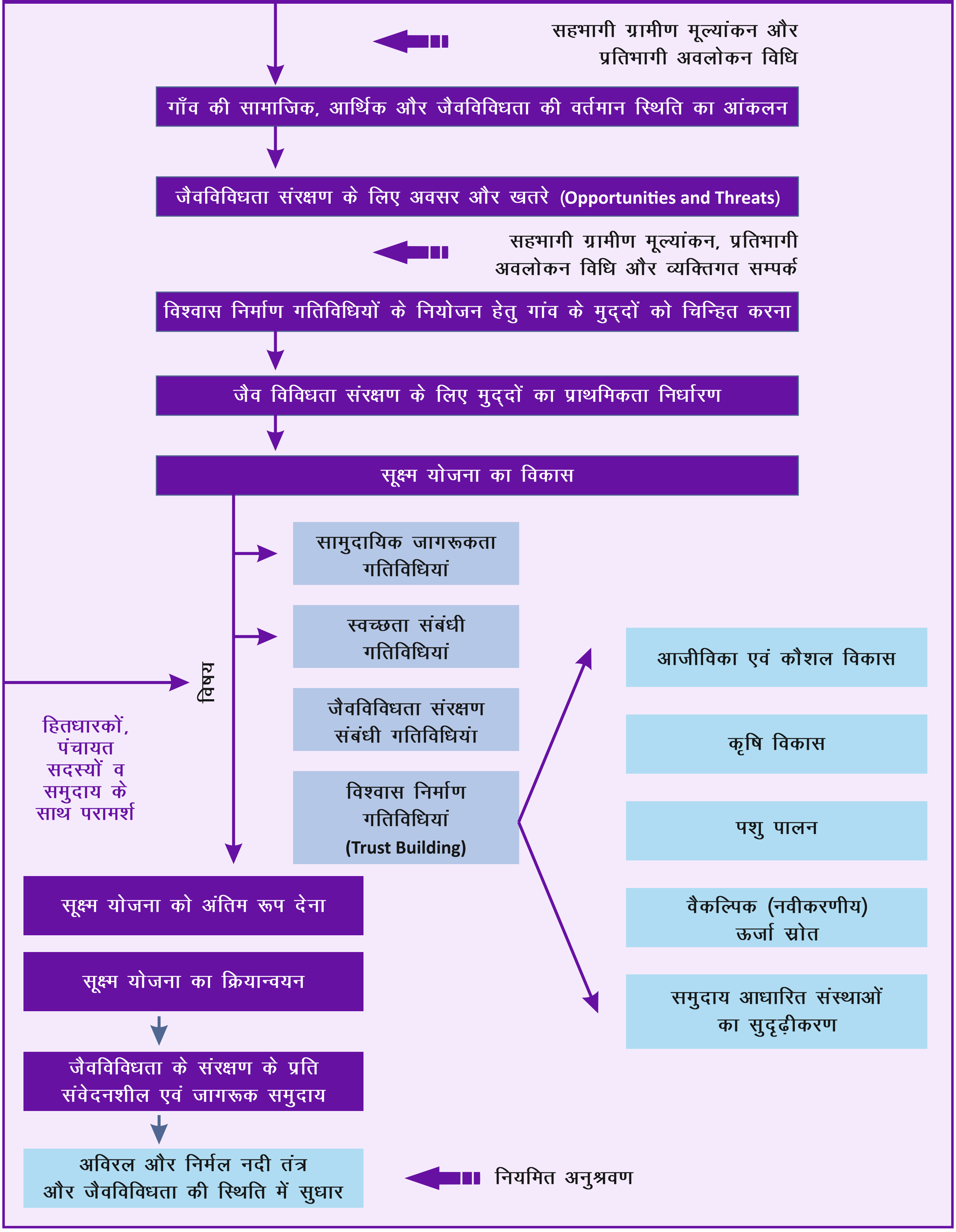

चित्र – 3 नियोजन की प्रक्रिया

भाग - 6 प्रस्तावित गतिविधियां, रणनीति तथा समन्वयन

6.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत एवं उसके आसपास के क्षेत्र में विभिन्न जलीय जीवों जैसे डॉल्फिन, कछुये, घड़ियाल तथा मगरमच्छ के साथ ही विभिन्न प्रकार के स्थानीय तथा प्रवासी पक्षी पाये जाते हैं। परंतु उनके महत्व व संरक्षण के संबंध में जागरूकता का अभाव है। समुदाय में बैठकों, चर्चा तथा कार्यशालाओं के बाद गंगा नदी व उसके आसपास की जैवविविधता व उसके महत्व, संबंधी जागरूकता गतिविधियां संचालित करने पर सहमति बनी। जिसके लिये ग्राम पंचायत में निम्न गतिविधियां की जायेंगी।

- जलीय जीवों तथा पक्षियों के महत्व के बारे में समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ जागरूकता कार्यशाला।
- सिंचाई के लिये अधिक जल के प्रयोग से घटते भूजलस्तर के संबंध में जागरूकता।
- कम पानी वाली और पारम्परिक फसलों की जानकारी प्रदान करना।
- खुले में शौच के मानव और जलीय जीवों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता।
- आजीविका के विकल्पों पर समुदाय के साथ चर्चा एवं गोष्ठी।
- मोटे अनाज के स्वास्थ्य पर लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- क्षेत्र में अवैध शिकार को रोकने के लिये जागरूकता।

6.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का अभिमुखीकरण

ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वंय सहायता समूहों के साथ ही आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को जैवविविधता संरक्षण के प्रति जागरूक कर उन्हें अन्य लोगों को भी इस संबंध में जानकारी देने हेतु प्रेरित किया जायेगा ताकि ये समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने के साथ ही कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग कर सकें। ये समूह जैवविविधता संबंधी गतिविधियों पर जागरूकता हेतु एक मंच का कार्य कर सकते हैं। आंगनबाड़ी तथा आशा कार्यकर्ता नियमित समुदाय के संपर्क में रहते हैं इन्हें समुदाय के अन्य लोगों को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने और प्रेरित करने हेतु प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस कार्य में स्वंय सहायता समूह के सदस्यों को भी शामिल किया जायेगा। साथ ही गंगा प्रहरियों के एक कैडर को विकसित किया जायेगा जो नदी की जैवविविधिता के संरक्षण हेतु प्रशिक्षित एक जागरूक और सक्रिय समूह होगा।

6.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियाँ

खवासपुर में समुदाय की आजीविका, मुख्य रूप से कृषि हेतु, गंगा पर निर्भरता है परंतु कई लोग कृषि भूमि न होने के कारण पास में स्थित ईंट भट्टे व अन्य स्थानों पर मजदूरी के लिये जाते हैं। साथ ही कुछ परिवारों के द्वारा अन्य कार्य न होने के समय मछली का शिकार भी किया जाता है। जैवविविधता संरक्षण में समुदाय खासकर महिलाओं को जोड़ने हेतु उन्हें कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाना है। इसके लिये समुदाय को बैठकों कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की जायेगी।

ग्राम में गठित विभिन्न समूहों को सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कौशल विकास योजनाओं एवं प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करके उन्हें आजीविका संबंधी गतिविधियों को शुरू करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा।

स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले विविध उत्पादों मसालों, आम, लीची आदि का प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से संबंधित प्रशिक्षणों के साथ ही टूरिस्ट गाइड, धूपबत्ती तथा अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण की मांग समुदाय के द्वारा की गई है।

क्षेत्र में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पुरातात्विक साइट, नदी की जैवविविधता एवं पक्षियों की काफी संख्या होने के साथ ही निकट में बटेश्वर स्थान स्थित है। जिसे देखते हुये यहाँ पर युवाओं को टूरिस्ट गाइड, फोटोग्राफी आदि का प्रशिक्षण दिया जा

सकता है। इन प्रशिक्षणों के पश्चात समुदाय को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इन प्रशिक्षणों के साथ ही क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों तथा बाजार का सर्वेक्षण कर ऐसे प्रशिक्षणों का आयोजन किया जायेगा जिससे उन्हें वैकल्पिक आजीविका के अवसर मिल सकें।

6.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ

स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम में 273 परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण किया गया है, साथ ही कुछ परिवारों द्वारा स्वंय के संसाधनों से शौचालयों का निर्माण कराया गया है परंतु लगभग 2600 परिवारों के पास शौचालय न होने के कारण वे शौच हेतु नदी किनारे या खुले में जाते हैं ऐसे परिवारों के लिये विकासखंड एवं जिला स्तर पर संबंधित विभागों से संपर्क कर गांव एवं घाटों पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर सहमति बनी है। इसके लिये ग्राम पंचायत में भूमि भी उपलब्ध है।

खवासपुर में 5 घाट हैं। जहाँ पर पर्व व छठ आदि मेलों के समय बड़ी संख्या में लोग स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिये आते हैं। यहाँ पर घाट की स्थिति अच्छी नहीं है सभी कच्चे घाट हैं। तीन प्रमुख घाटों चटैया घाट, मटगर घाट तथा इकनिया घाट पर कूड़ादान तथा कूड़ा निस्तारण के साथ ही शौचालय की व्यवस्था किये जाने की मांग समुदाय के द्वारा की गई है। जिसके लिये लोहिया स्वच्छता मिशन तथा राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के माध्यम से कार्य किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत में कूड़ा निपटान की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम में चयनित गंगा प्रहरियों के माध्यम से स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का संचालन किया जायेगा। ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिये ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के माध्यम से कूड़ादान और कूड़ा निस्तारण हेतु व्यवस्था की जा सकती है।

बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता, शौचालयों के निर्माण एवं उसके प्रयोग के साथ ही एकल प्लास्टिक के कम प्रयोग हेतु समुदाय को जागरूक किया जायेगा। त्योहारों एवं मेलों के बाद विशेष स्वच्छता अभियानों का आयोजन समुदाय के द्वारा किया जायेगा।

6.5 वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी गतिविधियां

खवासपुर ग्राम पंचायत में 2387 परिवारों के पास खाना पकाने के लिये एल0पी0जी गैस है। बाकी परिवार खाना पकाने और अन्य घरेलू कार्यों के लिये पारम्परिक ईंधन का प्रयोग करते हैं जिसमें गोबर से बनाये जाने वाले उपले और जंगलों व खेतों की वनस्पति पर ईंधन हेतु निर्भरता बनी हुई है। इन परिवारों को वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग हेतु प्रेरित किया जाना है। चयनित परिवारों को जिला स्तर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उज्जवला योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से एल0पी0जी, सौर ऊर्जा संयत्र (सोलर कुकर) एवं बायोगैस निर्माण किये जाने हेतु समन्वय स्थापित किया जायेगा। साथ ही परम्परागत ईंधन के उपयोग को कम करने के लिये धूम्ररहित और उन्नत चूल्हों के निर्माण और उपयोग हेतु भी समुदाय को जागरूक किया जायेगा और ग्राम पंचायत में 10 परिवारों का चयन कर उनके घर में प्रदर्शन हेतु धूम्ररहित चूल्हे का निर्माण किया जायेगा।

6.6 कृषि विकास संबंधी गतिविधियां

ग्राम पंचायत की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। रासायनिक खादों एवं नदी तट पर कृषि के कारण जलीय जीवों को होने वाली हानि के प्रति समुदाय को जागरूक किया जाना आवश्यक है।

समुदाय में रसायनिक खादों के प्रयोग से मानव स्वास्थ्य एवं जलीय जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगें।

साथ ही कृषि विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विज्ञान केन्द्र आदि के साथ सामंजस्य स्थापित कर जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षणों का आयोजन किया जायेगा।

किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों की जानकारी दी जायेगी। उनसे परम्परागत और प्राकृतिक कृषि के बारे में चर्चा करने के साथ ही उन्हें नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत चलाये जा रहे परंपरागत कृषि विकास योजना से जोड़ा जायेगा।

दो इच्छुक किसानों को चयनित कर उनकी भूमि पर प्रदर्शन वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण किया जायेगा।

मुख्य रूप से नदी किनारे कृषि कर रहे परिवारों को जैविक खाद का उपयोग करने के साथ ही आजीविका के वैकल्पिक प्रशिक्षणों से जोड़ा जायेगा।

6.7 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियां

खवासपुर में पशुपालन को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। लगभग 620 परिवारों के पास पशु हैं जिनके लिये खेतों व जंगलों से चारे की व्यवस्था की जाती है। पशुपालकों की आजीविका के संवर्धन के लिये निम्न कार्य किये जायेंगें –

- विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बायफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये कार्य किया जायेगा।
- पौष्टिक चारे के उत्पादन के विषय में जानकारी दी जायेगी। साथ ही चारापत्ती वाले वृक्षों का रोपण किया जायेगा जिससे चारा प्राप्ति के साथ ही जैवविविधता के क्षरण को रोका जा सकता है।
- सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जायेगी और विभाग के सहयोग से उनका क्रियान्वयन किया जायेगा।

6.8 जैवविविधता एवं आवास पुनर्स्थापन गतिविधियाँ

जैवविविधिता के संबंध में जागरूकता एवं इसके संरक्षण हेतु कार्य करने के लिये जनसमुदाय में से गंगा प्रहरियों का चयन किया गया है। जो नदी तथा ग्राम पंचायत की स्वच्छता के लिये प्रतिबद्ध हैं। ये गंगा प्रहरी गंगा घाटों में पर्व एवं स्नान, के समय घाटों में गन्दगी फैलाने वाले लोगों की निगरानी करने का कार्य करेंगे। वे घाट एवं आसपास उपस्थित गंगा के जलीय जीवों के बारे में जनसमुदाय को जागरूक करेंगे साथ ही बीमार, घायल, संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित कार्यकर्ताओं/वन विभाग को देंगे जिससे कि उनका बचाव व पुनर्वास किया जा सके। जिसके लिये उन्हें जलीय जीवों की निगरानी एवं बचाव कार्यों की तकनीकी में प्रशिक्षित किया जाना है।

वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं जलीय जीवों के अवैध शिकार को रोकने, बचाव एवं पुनर्वास हेतु एक निगरानी तंत्र तैयार किया जायेगा जिससे कि जलीय जीवन पर संकट के समय तुरंत कार्यवाही की जा सके।

अनियोजित एवं अवैध खनन के लिये निरंतर संबंधित विभाग के साथ चर्चा कर क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और नियमों का पालन करने के लिये कार्य किया जा सकता है।

प्राकृतिक और जैविक कृषि एवं सामुदायिक/व्यक्तिगत भूमि पर वृक्षों का रोपण जैवविविधता के क्षरण को रोकने में सहायक होगा। वैकल्पिक आजीविका के लिये क्षमता, कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन किया जायेगा तथा उनकी बाजार तक पहुँच बनाकर नदी तथा उसके संसाधनों पर दबाव को कम किया जायेगा। प्राकृतिक कृषि तथा कम पानी के उपयोग से होने वाली फसलों को उगाने के लिये समुदाय को प्रेरित करने के साथ ही उससे संबंधित प्रशिक्षणों का आयोजन किया जायेगा।

6.9 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन

उपरोक्त योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित किये गये विभागों का विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	गतिविधि	विभाग
1.	ग्रामीण विकास, स्वच्छता संबंधी योजनाओं की जानकारी एवं निर्माण करना।	ग्रामीण विकास विभाग, स्वच्छ भारत अभियान
2.	कौशल विकास एवं आजीविका संबंधी प्रशिक्षण	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम आदि
3.	उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, बायो गैस, बायो कम्पोस्ट निर्माण	कृषि एवं पशुपालन विभाग, बाएफ, कृषि विज्ञान केन्द्र बिहार कृषि विश्वविद्यालय
4.	वैकल्पिक ऊर्जा	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उज्जवला योजना आदि

उपरोक्त विभागों/संस्थानों से समन्वय स्थापित कर समुदाय को विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

भाग – 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विष्लेषण

योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई गतिविधियों का सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना आवश्यक है तभी उसके क्रियान्वयन से समुदाय लाभान्वित हो सकेगा।

क्रम सं0	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
1	जलीय जीवों तथा पक्षियों के महत्व के बारे में समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ जागरूकता कार्यशाला।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
2	सिंचाई के लिये अधिक जल के प्रयोग से घटते जलस्तर के संबंध में जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
3	कम पानी वाली और पारम्परिक फसलों की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
4	खुले में शौच के मानव और जलीय जीवों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
5	आजीविका के विकल्पों पर समुदाय के साथ चर्चा एवं गोष्ठी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
6	मोटे अनाज के स्वास्थ्य पर लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
7	स्वंय सहायता समूहों और आंगनबाड़ी तथा आशा कार्यकर्ताओं का अभिमुखीकरण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
8	बैठकों कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
9	सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
10	स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले विविध उत्पादों मसालों, आम, लीची आदि का प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से संबंधित प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
11	विकासखंड एवं जिला स्तर पर संबंधित विभागों से संपर्क कर गांव एवं घाटों पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु प्रयास।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
12	ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिये ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के माध्यम से कूड़ादान और कूड़ा निस्तारण हेतु व्यवस्था।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
13	बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता, शौचालयों के निर्माण एवं उसके प्रयोग के साथ ही एकल प्लास्टिक के कम प्रयोग हेतु समुदाय को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।

क्रम सं0	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
14	किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी देना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
15	विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बीएफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के विषय में जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
16	सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
17	उन्नत एवं प्राकृतिक कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण का प्रदर्शन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
18	जलीय जीवों के बचाव एवं पुनर्वास हेतु एक निगरानी तंत्र तैयार करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
19	जैविक और प्राकृतिक कृषि पर जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट

ग्राम पंचायत खवासपुर में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आर्थिक सहयोग से किया जायेगा। तकनीकी सहयोग हेतु जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वयन किया जायेगा। जहां तक संभव हो संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को समुदाय तक पहुँचाने का प्रयास किया जायेगा जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके।

बजट खवासपुर				
क्रम सं0	गतिविधि	संख्या	दर	कुल राशि
1	**सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां**			
I	जलीय जीवों तथा पक्षियों के महत्व के बारे में समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ जागरूकता कार्यशाला।	5	20000	100000
ii	कम पानी वाली और पारम्परिक फसलों पर जागरूकता	10	10000	100000
iii	खुले में शौच के मानव और जलीय जीवों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता गोष्ठी	5	15000	75000
iv	मोटे अनाज के स्वास्थ्य पर लाभों के विषय में जागरूकता	50	500	25000
v	घाटों पर जागरूकता सूचना बोर्ड/होर्डिंग लगाना	4	10000	40000
vi	अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के विषय में जानकारी के लिये कार्यशाला	2	50000	100000
				440000
2	**कार्यशाला एवं प्रशिक्षण**			
i	स्वंय सहायता समूहों और आंगनबाड़ी तथा आशा कार्यकर्ताओं का अभिमुखीकरण	2	50000	100000
ii	आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन	4	150000	600000
iii	पशु टीकाकरण एवं रोगों से बचाव पर कार्यशाला का आयोजन	2	50000	100000

क्रम सं0	गतिविधि	संख्या	दर	कुल राशि
iv	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	2	50000	100000
v	जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	2	50000	100000
				1000000
3	**प्रदर्शन एवं निर्माण**			
I	प्रदर्शन (Demonstration) वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण	2	20000	40000
ii	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण का प्रदर्शन (Demonstration)	1	100000	100000
iii	सक्रिय समूह को आजीविका संबंधी गतिविधियां शुरू करने हेतु रिवॉल्विंग फंड			50000
iv	त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान का आयोजन	10	5000	50000
v	नदी के किनारे वृक्षारोपण			50000
vi	धूम्ररहित/उन्नत चूल्हा निर्माण	10	2500	25000
				315000
4	**मानवशक्ति एवं यात्रा व्यय**			
i	फील्ड असिस्टेंट (5 वर्ष)	1	10000	600000
ii	यात्रा व्यय			10000
				750000
			कुल	**2505000**

7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

उपरोक्त कार्ययोजना का समय–समय पर अनुश्रवण कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के अनुश्रवण से हमें कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति व उसमें आने वाली बाधाओं की जानकारी प्राप्त होगी एवं मूल्यांकन कर कार्ययोजना के अनुरूप क्रियान्वयन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में गठित समुदाय आधारित संस्थाओं व गंगा प्रहरियों के माध्यम से कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले रिकार्ड्स का भी कार्यक्रम के अनुश्रवण में सहायक होंगे।

7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व

कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय एवं एन0एम0सी0जी– भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे –

एन0एम0सी0जी– भारतीय वन्य जीव संस्थान

- जागरूकता गतिविधियों, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण हेतु बजट की व्यवस्था करना।
- गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- जलीय जीवों के बचाव व पुनर्वास हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करना एवं समुदाय को जागरुक करना।
- आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वयन स्थापित करना।

समुदाय

- विभिन्न गतिविधियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों में भागीदारी करना।
- सहमत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्थान प्रदान करना।
- संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित विभाग/कार्यकर्ताओं को देना।

- आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षणों में सक्रिय भागीदारी करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को सहयोग करना।
- समय–समय पर स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन।
- जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन

7.5 विवाद का निपटारा

गाँव में पंचायत स्तर पर विवाद का निपटारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

7.6 अभिलेखों का रखरखाव

अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या उनके द्वारा चयनित प्रतिनिधि की होगी जिसके लिये ग्राम स्तर पर चयनित गंगा प्रहरियों का सहयोग लिया जा सकता है।

- गंगा की स्वच्छता एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियों हेतु रजिस्टर
- विभिन्न गतिविधियों के फोटोग्राफ
- क्रियान्वित गतिविधियो की रिपोर्ट
- प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियों का विवरण
- गंगा प्रहरी द्वारा की जा रही गतिविधियों का विवरण
- ग्राम स्तर पर आयोजित गतिविधियों के दस्तावेज

7.7 सफलता के सूचक

1. गंगा नदी एवं इसके बेसिन में जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा प्रहरियों का एक संवर्ग (cadre) तैयार हो चुका है तथा स्थानीय समुदायों एवं अन्य हितधारकों को संवेदीकृत एवं प्रशिक्षित किया जा चुका है।
2. कार्यक्रम के हितधारकों, उनकी आवश्यकताओं और गंगा के संरक्षण हेतु उनकी भूमिका सुनिश्चित कर ली गई है।
3. ग्राम पंचायत में एक मंच तैयार किया जा चुका है जहां पर विभिन्न हितधारक गंगा एवं उसकी जलीय जैवविविधता के संरक्षण से संबंधित चर्चा एवं क्रियाकलाप कर सकते हैं।
4. गंगा नदी पर आश्रित समुदाय हेतु कौशल व क्षमता विकास प्रशिक्षण किये जा चुके हैं।
5. समुदाय जैविक कृषि व प्राकृतिक कृषि को अपनाने हेतु पहल कर रहा है।
6. ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है।
7. समुदाय गंगा जैवविविधता संबंधी गतिविधियों के प्रति जागरूक है एवं इसके लिये स्वंय गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।
8. आजीविका के अवसरों में वृद्धि हुई है।
9. गंगा प्रहरियों के द्वारा लगातार समुदाय को गंगा के जलीय जीवों के महत्व तथा संरक्षण के बारे में जागरुक करने का कार्य किया जा रहा है।

अनुलग्नक 1

समझौता ज्ञापन

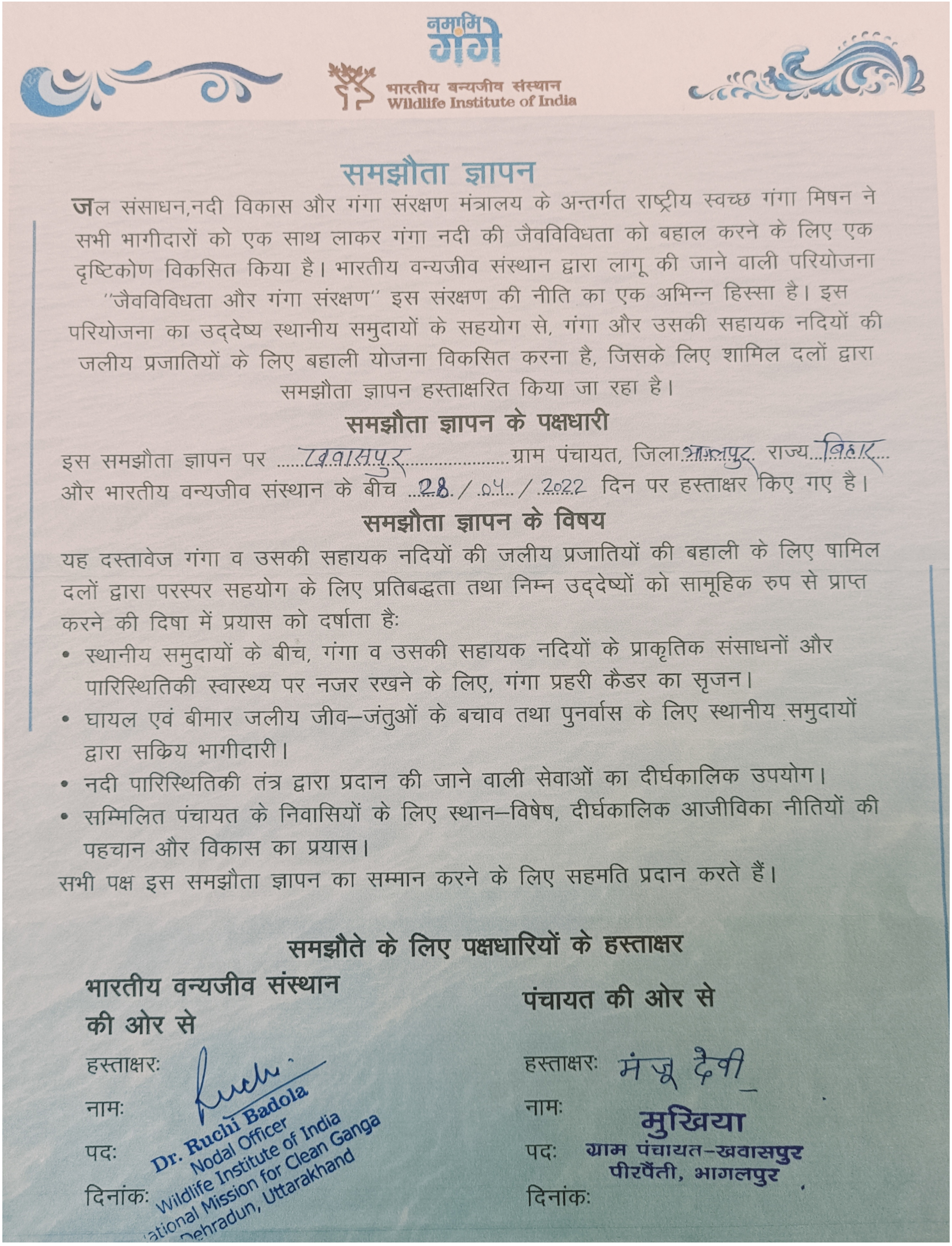

नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

समझौता ज्ञापन

जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिषन ने सभी भागीदारों को एक साथ लाकर गंगा नदी की जैवविविधता को बहाल करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लागू की जाने वाली परियोजना ''जैवविविधता और गंगा संरक्षण'' इस संरक्षण की नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देष्य स्थानीय समुदायों के सहयोग से, गंगा और उसकी सहायक नदियों की जलीय प्रजातियों के लिए बहाली योजना विकसित करना है, जिसके लिए शामिल दलों द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन के पक्षधारी

इस समझौता ज्ञापन पर ......खवासपुर...................... ग्राम पंचायत, जिला..भागलपुर.. राज्य...बिहार.... और भारतीय वन्यजीव संस्थान के बीच ..28../..04../..2022 दिन पर हस्ताक्षर किए गए है।

समझौता ज्ञापन के विषय

यह दस्तावेज गंगा व उसकी सहायक नदियों की जलीय प्रजातियों की बहाली के लिए षामिल दलों द्वारा परस्पर सहयोग के लिए प्रतिबद्धता तथा निम्न उद्देष्यों को सामूहिक रुप से प्राप्त करने की दिषा में प्रयास को दर्षाता है:

- स्थानीय समुदायों के बीच, गंगा व उसकी सहायक नदियों के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए, गंगा प्रहरी कैडर का सृजन।
- घायल एवं बीमार जलीय जीव–जंतुओं के बचाव तथा पुनर्वास के लिए स्थानीय समुदायों द्वारा सक्रिय भागीदारी।
- नदी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दीर्घकालिक उपयोग।
- सम्मिलित पंचायत के निवासियों के लिए स्थान–विषेष, दीर्घकालिक आजीविका नीतियों की पहचान और विकास का प्रयास।

सभी पक्ष इस समझौता ज्ञापन का सम्मान करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं।

समझौते के लिए पक्षधारियों के हस्ताक्षर

भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से

हस्ताक्षरः Ruchi

नामः Dr. Ruchi Badola

पदः Nodal Officer, Wildlife Institute of India, National Mission for Clean Ganga, Dehradun, Uttarakhand

दिनांकः

पंचायत की ओर से

हस्ताक्षरः मंजू देवी

नामः

पदः मुखिया ग्राम पंचायत–खवासपुर पीरपैंती, भागलपुर

दिनांकः

अनुलग्नक 2

सामाजिक मानचित्र ग्राम पंचायत खवासपुर

अनुलग्नक 3

सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपरस्थित समुदाय की सूची

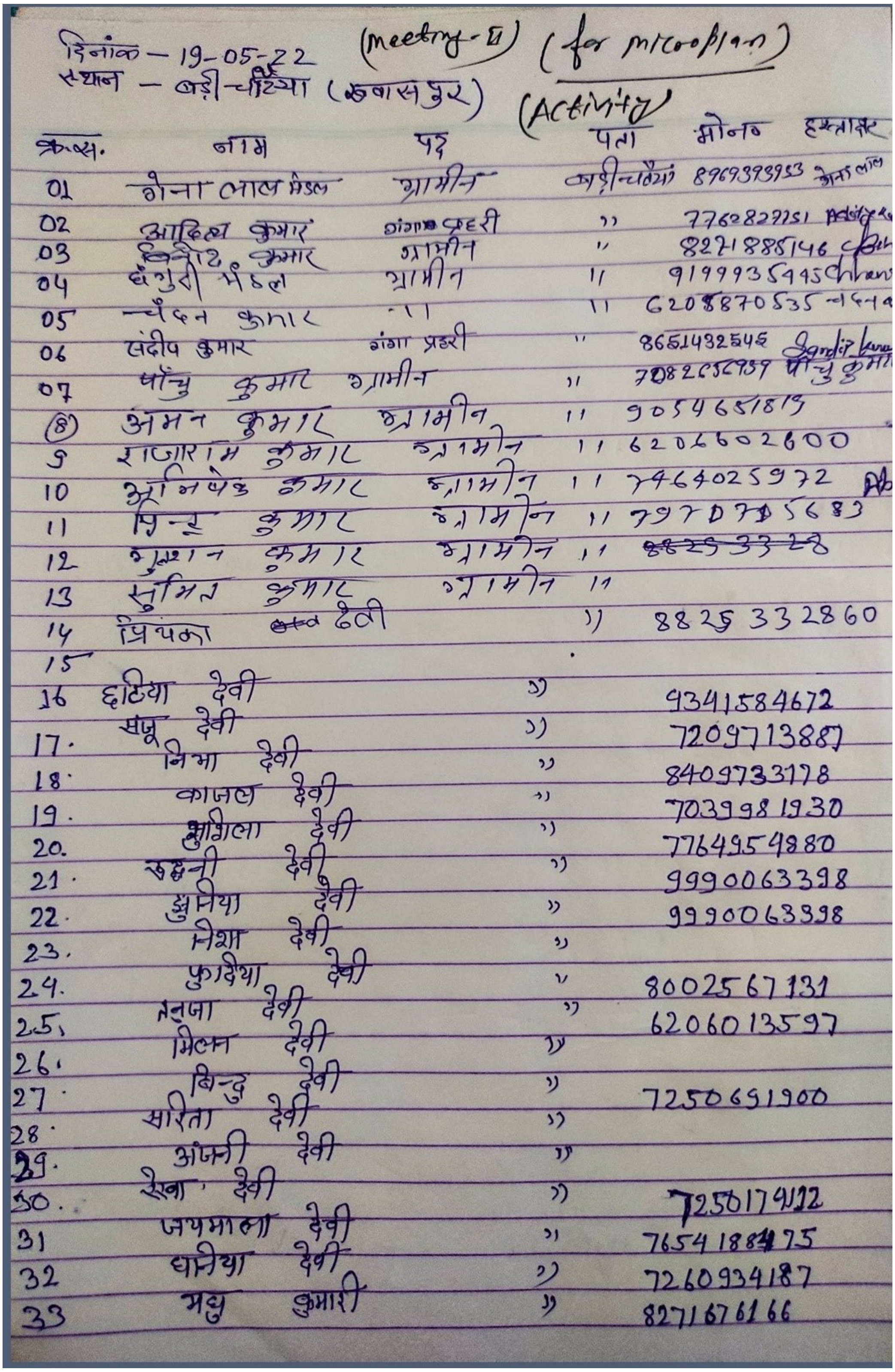

दिनांक – 19-05-22 (meeting-II) (for microplan)
स्थान – बड़ी-चौरिया (खवासपुर) (Activity)

क्र.सं.	नाम	पद	पता	मो.नं.	हस्ताक्षर
01	गोना लाल मंडल	ग्रामीन	बड़ीचौरिया	8969393953	गोना लाल
02	आदित्य कुमार	गंगा प्रहरी	"	7760827751	Aditya [illegible]
03	विनोद कुमार	ग्रामीन	"	8271888146	[illegible]
04	घंगुरी मंडल	ग्रामीन	"	9199935445	Chhan[illegible]
05	चंदन कुमार	"	"	6208870535	चंदन[illegible]
06	संदीप कुमार	गंगा प्रहरी	"	8651432545	Sandip kum[illegible]
07	पाँचु कुमार	ग्रामीन	"	7082656939	पाँचु कुमा[illegible]
(8)	अमन कुमार	ग्रामीन	"	9054651819	
9	राजाराम कुमार	ग्रामीन	"	6206602600	
10	अभिषेक कुमार	ग्रामीन	"	7464025972	Ab[illegible]
11	मिन्टू कुमार	ग्रामीन	"	7970715683	
12	गुलशन कुमार	ग्रामीन	"	~~8825 33 28~~	
13	सुमित कुमार	ग्रामीन	"		
14	प्रियंका ~~[illegible]~~ देवी		"	8825 332860	
15					
16	हटिया देवी		"	9341584672	
17.	सजू देवी		"	7209713887	
18.	निभा देवी		"	8409733178	
19.	काजल देवी		"	7039981930	
20.	सुशीला देवी		"	7764954880	
21.	रुक्मनी देवी		"	9990063398	
22.	झुनिया देवी		"	9990063398	
23.	निशा देवी		"		
24.	फुलदीया देवी		"	8002567131	
25.	ननुजा देवी		"	6206013597	
26.	मिलन देवी		"		
27.	बिन्दु देवी		"	7250691900	
28.	सरिता देवी		"		
29.	अंजनी देवी		"		
30.	रेखा देवी		"	7250174912	
31	जयमाला देवी		"	7654188175	
32	धनिया देवी		"	7260934187	
33	मधु कुमारी		"	8271676166	

फोटो गैलरी

www.wii.gov.in/national_mission_for_clean _ganga

National Mission for Clean Ganga,
Ministry of Jal shakti

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

Wildlife Institute of India
Chandrabani, Dehradun-248001, Uttarakhand

GACMC / NCRR

Ganga Aqualife Conservation Monitoring Centre/
National Centre For River Research
Wildlife Institute of India, Dehradun
nmcg@wii.gov.in